

14.5.18

पञ्जावली आण केस कोर्ट बड़ागांव में पेडाकुई  
पञ्जावली का आवलोकन किया गया। अनुपुल  
सूक्ति सं. नं. 847 के जारी हीरामात स्वादेहर  
नहीं है। वादी किसी दुकान की कोषणा का  
अनुलोप नहीं है। वादी अनुपुल वाद के परिण  
दक प्रकार की कोई कोषणा करने के अधिक  
नहीं है। वादी का वाद पत्र जाबाबहीन होने  
के स्वरिण किया गया। उचित व व्यापारिक  
उचित होगा।

आदेश

वादी का वाद पत्र जाबाबहीन होने के स्वरिण  
किया गया है।

पञ्जावली केसल शुमार होकर नंबर के वस  
है तथा दारिद्र्य रूपसे है।

उचित आण दिनांक 14.5.18 को केस कोर्ट  
बड़ागांव में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी (मुन्डुनू)